संख्या :2062/77-6-20-एल.सी. 32/15टीसी-2

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/यूपीसीडा/लीडा/गीडा/सीडा/
डी.एम.आई.सी.आई.आई.टी.जी.एन.एल।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 07 अगस्त, 2020

विषयः औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि आवंटन से संबंधित अपनी प्रकियाओं में सुधार के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या :1884/77-6-20-एल.सी.32/15टीसी-2, दिनांक 20 जुलाई, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

(iii) उ0प्र0 सरकार की औद्योगिक विकास नीति-2017 में परिभाषित मेगा, मेगा प्लस तथा सुपर मेगा श्रेणी की औद्योगिक ईकाईयां की स्थापना के लिए भू-आवंटन के प्राप्त आवेदन पत्रों को फास्ट ट्रैक मोड से निस्तारित किया जाए जिसमें 15 दिन की समय सीमा रखी जाए। पारदर्शिता के लिए आवंटित किये जाने वाले सभी भूखण्ड प्राधिकरण द्वारा GIS प्लेटफार्म पर अवश्य प्रदर्शित हो। ऐसे फास्ट ट्रैक मामलों में डी0पी0आर0 के आधार पर ही निवेश का आकलन किया जाए। इसके लिए 2 करोड़ रू. का न्यूनतम प्रति एकड़ निवेश का norm भी उद्योग बन्धु द्वारा निर्धारित किया गया है ताकि निवेशक द्वारा वास्तविक आवश्कता से अधिक भूमि न प्राप्त की जाए।

2- इस संबंध में प्राप्त निवेश प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा के लिए 07 करोड़ रू0 का न्यूनतम प्रति एकड़ निवेश का norm निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3- शासनादेश संख्या-1884/77-6-20-एल.सी. 32/15टीसी-2, दिनांक 20 जुलाई, 2020 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्राविधान यथावत रहेगें।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण

यूपीसीडा
ए–1/4, लखनपुर, पोस्ट बाक्स नं0– 1050,
कानपुर–208024
दूरभाष : 0512–2582851–53 (PBX)
वेबसाइट : www upsidc.com
ई–मेल : feedback@upsidc.com

सन्दर्भ संख्या 1742 /यूपीसीडा/औ0क्षे0/ई आक्शन–3 दिनांक 09/10/2020

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 36वीं बोर्ड बैठक में मेगा एवं सामान्य परियोजनाओं की प्रचलित आबंटन नीति में संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय के क्रम में आनलाईन आबंटन (निवेश मित्र के माध्यम से) तथा ई आक्शन (मे0 एम जंक्शन पोर्टल के माध्यम से) के सम्बन्ध में आबंटन की प्रचलित नीति में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:–

1.	आवंटन प्रक्रिया	
(क)	निवेश मित्र पोर्टल	(क) पूर्ववत निर्धारित मानकों के आधार पर मार्किंग सिस्टम से आनलाईन आबंटन की व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी। (क–i) निवेश मित्र पोर्टल पर मेगा प्रोजेक्टस् हेतु आवेदन के लिये पृथक विंडो का प्रावधान किया जायेगा।
(ख)	ई–ऑक्शन	(ख–i) **मेगा प्रोजेक्टस हेतु**– शासन के निर्देशानुसार मेगा प्रोजेक्टस् हेतु 15 दिन में आबंटन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत भूखण्ड के ई–ऑक्शन हेतु न्यूनतम 03 बिड की आवश्यकता को समाप्त करते हुए दो बिड अथवा सिंगल बिड प्राप्त होने पर भी बिड की कार्यवाही सम्पादित कराते हुए भूखण्ड का आबंटन सुनिश्चित किया जाएगा। (ख–ii) **साधारण आवेदको हेतु** तीन से कम बिड प्राप्त होने की दशा में ऑक्शन को निरस्त न कर न्यूनतम 03 बिड प्राप्त किये जाने हेतु अन्य और आवेदन प्राप्त किये जाने के लिए अधिकतम दो बार 07–07 दिन हेतु ऑक्शन को रोलओवर किया जाएगा। दो बार रोलओवर की अवधि में यदि न्यूनतम तीन बिड नहीं भी प्राप्त होती है तो सिंगल बिड पर भी ऑक्शन सम्पादित करते हुए आबंटन किया जाएगा।

2.	**मेगा प्रोजेक्टस हेतु वांछित आकार के टेलरमेड भूखण्डों का सृजन (टेलरमेड भूखण्ड– अनावंटित भूखण्ड/भूमि का संविलियन/उपविभाजन करते हुए वांछित क्षेत्रफल के भूखण्ड का तलपट मानचित्र में सृजित किया जाना)**	
	निवेश मित्र पोर्टल/ई आक्शन	(i) मेगा प्रोजेक्टस् आदि के लिये आवंटन से पूर्व टेलरमेड भूखण्डों का सृजन करने की व्यवस्था बनाई गई है। (ii) उद्यमी द्वारा प्रियारिटी आबंटन फीस जमा कराने के उपरान्त टेलमेड भूखण्ड सृजित किया जायेगा। भूखण्डों के सृजन के उपरान्त उद्यमी द्वारा आवेदन न किये जाने की दशा में उक्त फीस वापस नहीं की जाएगी। (iii) आबंटन से पूर्व टेलरमेड भूखण्ड सृजित किये जाने हेतु संविलियन/उप विभाजन की प्रक्रिया प्रचलित नीतियों के अनुसार निर्धारित समयसीमा में भूखण्ड सृजित कर उपलब्धता दर्शाते हुए आबंटन की कार्यवाही की जायेगी। (iv) टेलरमेड भूखण्डों के सृजित होने के उपरान्त आबंटन हेतु मात्र मेगा प्रोजेक्टस् परियोजनाओं के ही आवेदन स्वीकार किये जायेगें।
3.	**आवेदन निस्तारण की समय सीमा**	
(क)	निवेश मित्र पोर्टल	(क–i) समस्त आवेदनों के निस्तारण की समयसीमा पूर्ववत् 21 दिन रहेगी। (क–ii) यदि आवेदित परियोजना मेगा प्रोजेक्ट की श्रेणी में है तो आवेदन प्राप्ति की तिथि से 15 दिन की समयसीमा में निस्तारण।
(ख)	ई–आक्शन	(ख) सामान्य प्रोजेक्ट्स में पहली बार न्यूनतम 03 बिड प्राप्त नहीं होने की दशा में 07–07 दिनों के लिए अधिकतम दो बार रि–रोल किया जायेगा। रि–रोल की अवधि में भूखण्ड हेतु आवेदन किये जायेगें तथा रि–रोल से पूर्व प्राप्त आवेदन यथावत् बने रहेगें अर्थात् उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अधिकतम दो बार रि–रोल करने के उपरान्त भी यदि न्यूनतम 03 बिड प्राप्त नही होती हैं तो

		नीलामी प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए भूखण्ड का आबंटन सुनिश्चित किया जाएगा। (ख–i) मेगा प्रोजेक्टस हेतु 15 दिनों की समय सीमा।
4.	**प्रोसेसिंग शुल्क**	
(क)	निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आन लाईन आवंटन/ई आक्शन हेतु प्रोसेसिंग शुल्क	(क–1) सामान्य प्रकरणों में यथावत। (क–2) मेगा प्रोजेक्टस में निम्नानुसारः– (क–2.1) प्रोसेसिंग शुल्क रू0 50,000.00 + जीएसटी (नॉन रिफण्डेबल)। (क–2.2) मेगा प्रोजेक्ट प्रियारिटी आबंटन फीस की दर निम्नवत् प्रस्तावित हैः– रू0 100 करोड़ तक के निवेश हेतु रू0 2.00लाख रू0 100 करोड़ से अधिक एवं 300 करोड़ तक के निवेश हेतु रू0 5.00लाख रू0 300 करोड से अधिक निवेश हेतु रू0 10.00लाख (क–2.3) असफल आवेदकों को उपरोक्त प्रियॉरिटी आबंटन फीस वापस कर दी जाएगी, परन्तु सफल आवेदकों के लिए यह नॉन–रिफण्डेबल एवं असमायोजनीय रहेगी।
(ख)	निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आन लाईन आवंटन/ई आक्शन हेतु धरोहर धनराशि	(ख) सभी प्रकरणों हेतु धरोहर धनराशि पूर्ववत लागू रहेगी।
5	**पोर्टल पर भूखण्डों के प्रदर्शन एवं आवेदन प्राप्त करने की अवधि**	
	निवेश मित्र पोर्टल/ई आक्शन पोर्टल पर	आबंटन हेतु उपलब्ध भूखण्ड को 07 दिवस हेतु पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा प्रदर्शित किये जाने की तिथि से ही आवेदन किया जायेगा।

मेगा प्रोजेक्टस् का निर्धारण प्रचलित राज्य सरकार की औद्योगिक नीति–2017 अथवा यथासमय संशोधित नीति में प्राविधानित मेगा प्रोजेक्ट्स के मानको के आधार पर किया जायेगा। आबंटित किये जाने वाले समस्त भूखण्ड प्राधिकरण द्वारा GIS प्लेटफार्म पर अवश्य प्रदर्शित किये जायेंगे। मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरणों में DPR के आधार पर ही निवेश का ऑकलन किया जायेगा, इसके लिये नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में न्यूनतम रू. 7.00 करोड प्रति एकड़ तथा अन्य क्षेत्रों में

रू0 2.00 करोड़ प्रति एकड़ का निवेश सुनिश्चित किया जायेगा। निवेश मित्र पोर्टल अथवा ई आक्शन के माध्यम से आबंटन तथा टेलरमेड भूखण्डों के सृजन हेतु समयसीमा, प्रोसेस फ्लो तथा मेगा प्रोजेक्टस् हेतु न्यूनतम निवेश सम्बन्धी शासन द्वारा निर्गत पत्र 2062/77–6–20–एल.सी. 32/15टीसी–2 औद्योगिक विकास अनुभाग–6 दिनांक 07.08.2020 की प्रति क्रमशः संलग्नक–1, 2, 3 व 4 पर संलग्न है।

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सन्दर्भ संख्या 1742 /यूपीसीडा/औ0क्षे0/ ई आक्शन–3 दिनांक 09/10/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, यूपीसीडा।
5. प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यालय आदेश को प्राधिकरण के वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. श्री अनुराग अवस्थी, मे0 ई एण्ड वाई, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निवेश मित्र पोर्टल पर आवश्यक संशोधन एवं प्रक्रिया बनाना सुनिश्चित करें।
7. श्री स्नेहजीत दास, मे0 एम जंक्शन को इस निर्देश के साथ कि ई आक्शन पोर्टल पर आवश्यक संशोधन एवं प्रक्रिया बनाया जाना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड फाईल

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Proposed Process flow for land allotment through Nivesh Mitra

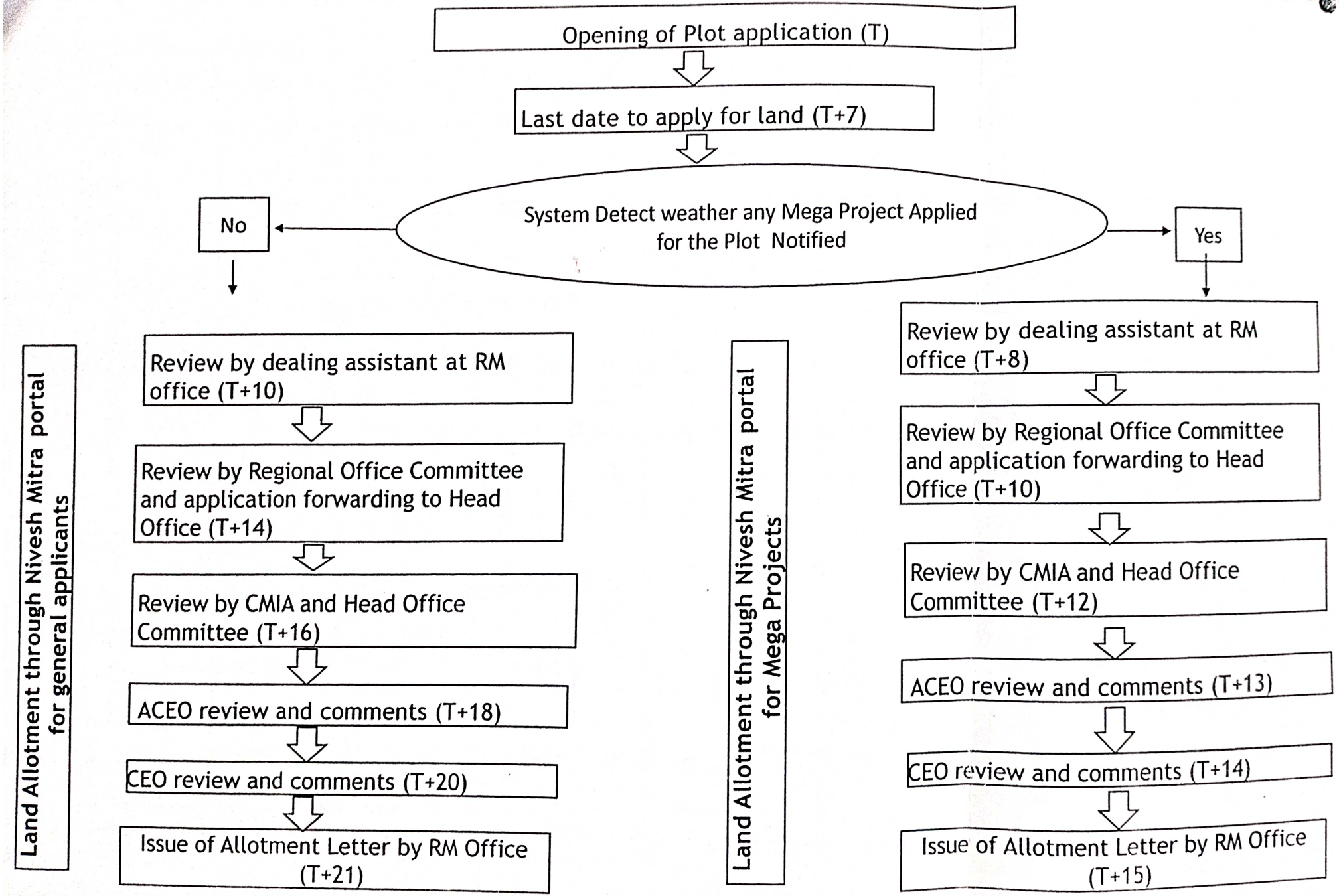

Proposed Process flow for land allotment through E-auction

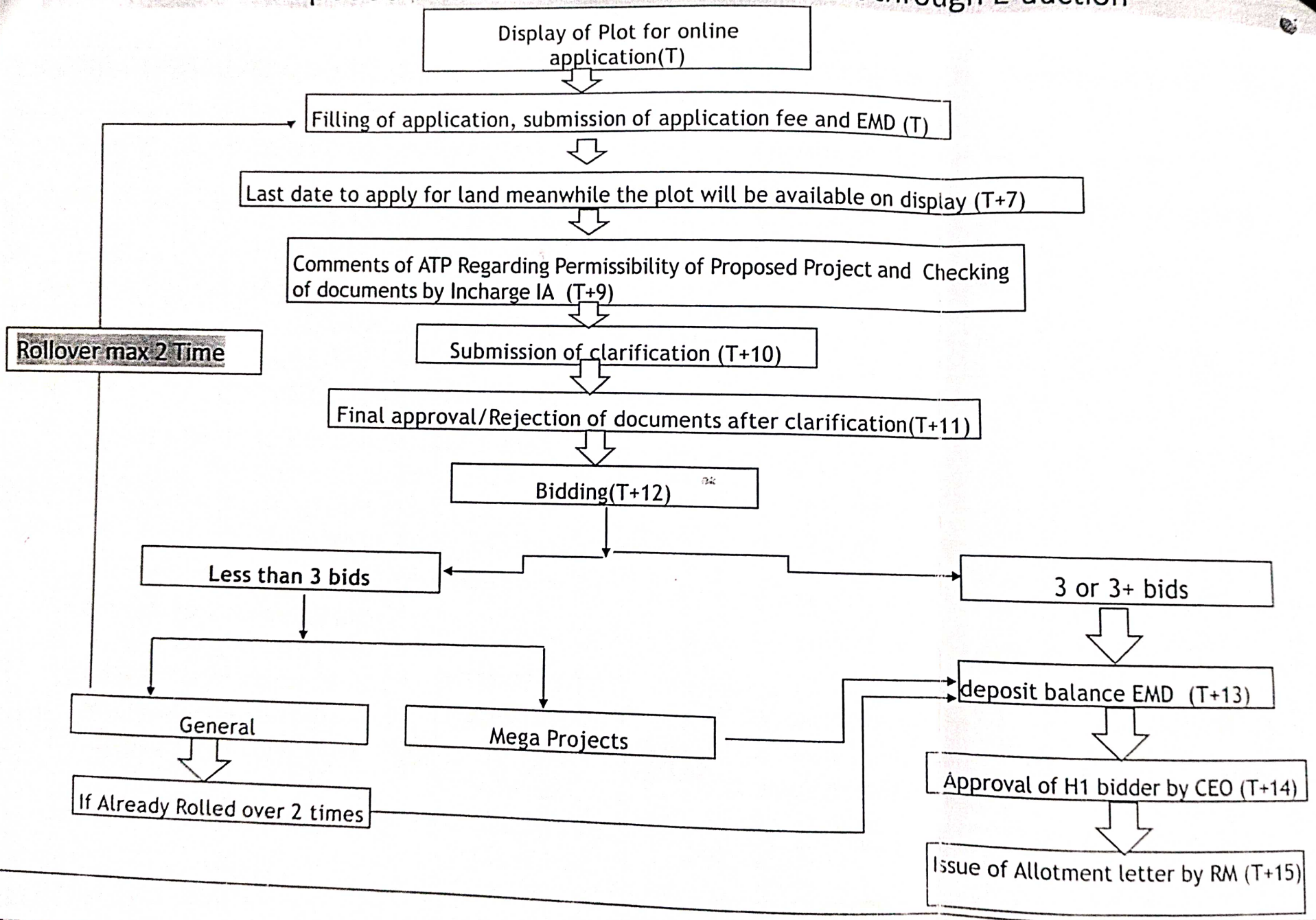

सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Process Flow for Creation of Tailor made (Subdivision/Amalgamation)Plots

The Interested Entrepreneur Log on to UPSIDA Web Site and Enquires for the Desired Area for Allotment Filling the Below Information

Name of Entrepreneur	Required Area(In Sqmt)	Select Industrial Area From Dropdown Menu(Multiple Selection Allowed)	Options Available 1 2

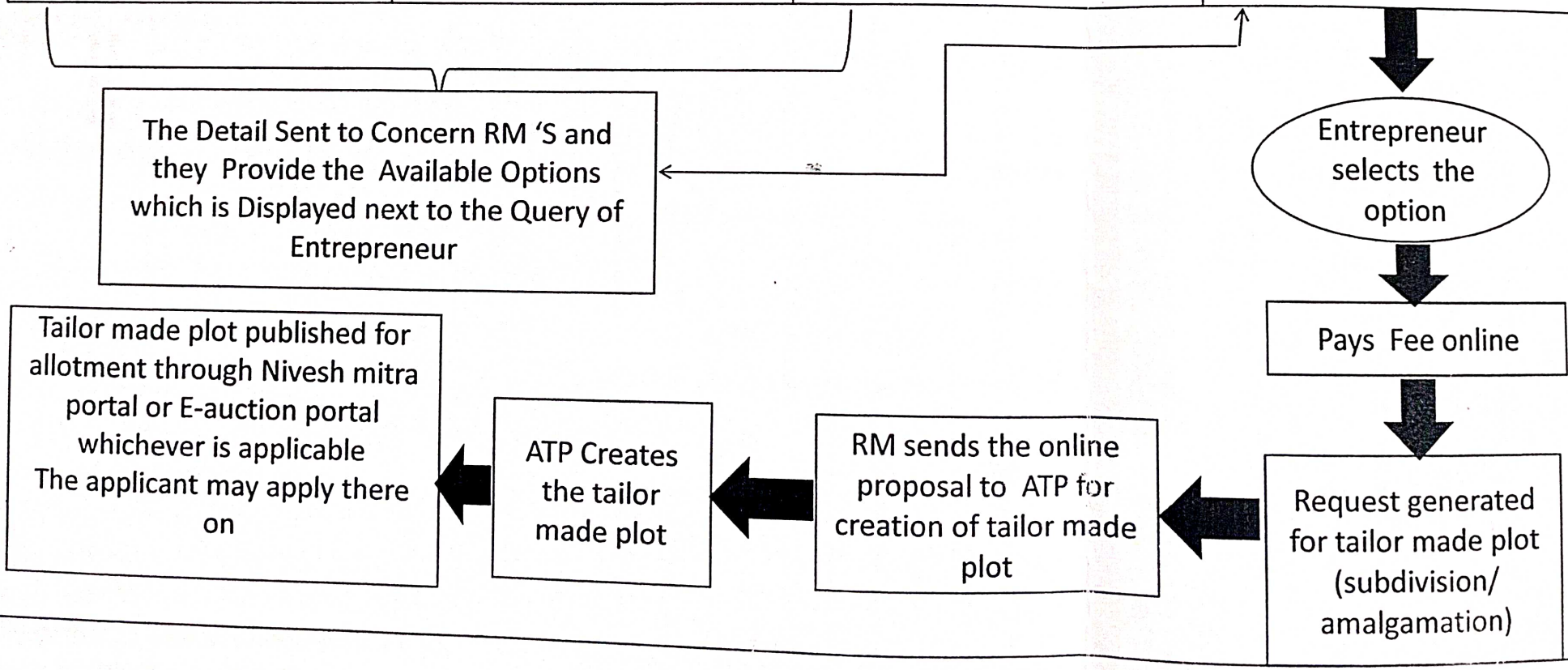

सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।